

From,

Nand Lal,
District & Sessions Judge,
Etawah.

To,

Shri Avanish Kumar Jaiswal,
Deputy Registrar (M)
Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad.

Letter No. **1536** / **I Etawah** Dated- October **21**, 2020

Sub.: Submission of required papers for Pension and Gratuity (in three sets)

Sir,

Kindly refer your letter No. **6759/IV 2189/Admin (A) Dated Allahabad 26.08.2020**, regarding captioned subject.

I beg to state that as I am due to retire on superannuation on 30.11.2020, I am submitting following enumerated papers regarding details of Advances taken and No Dues Certificates attested copies as enclosures along with Pension Papers and Indemnity Bonds Part 1, 3, 4 & 5, identification particulars one photograph-

- 1- Scooter Advance order and No Dues Certificate-copy.
- 2- Motor Car Advance order and No Dues Certificate-copy.
- 3- House-building Advance order and No Dues Certificate-copy.

I am also submitting No Dues Certificates attested copies of last five years of my posting, issued from District Judgeships, Pratapgarh, Mainpuri, Jaunpur, Orai at Jalaun, Allahabad, Faizabad and Varanasi, alongwith return-receipt of Home-Library Books handed over to Pratapgarh Judgeship Library.

It is humbly requested that necessary order be issued for settlement of pension matters.

With regards .

Yours faithfully,

Encl. – As above.


(Nand Lal)

District & Sessions Judge,
Etawah.

My E-mail address–nandlaladj@gmail.com

प्रार्थना-पत्र

भाग -1

पेंशन/सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी, राशिकरण के लिये प्रार्थना पत्र
(फार्म भरने के पूर्व भाग-6 में उल्लिखित निर्देश पढ़ लिये जायें।)

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,
इटावा।

(कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता)

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत है। मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें।

- | | |
|--|---|
| 1- नाम- | नन्द लाल |
| 2- पिता/पति का नाम- | श्री रमा शंकर आर्य |
| 3- सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पता
(क) स्थाई निवास स्थान-
(ख) पत्र व्यवहार का पता- | ग्राम व पोस्ट पीपीगंज, गोरखपुर, उ०प्र०
01-बी-13, आवास विकास कालोनी, पाण्डेयपुर,
वाराणसी, उ०प्र० |
| 4- जन्म तिथि- | 17.11.1960 |
| 5- सेवा प्रारम्भ करने की तिथि- | 01.08.1986 |
| 6- सेवा निवृत्ति की तिथि- | 30.11.2020 |
| 7- अन्तिम पद जहां से सेवा निवृत्ति का पद नाम-
तथा कार्यालय विभाग का नाम व पता- | जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, इटावा |
| 8- मृत्यु होने की दशा में नामिनी का नाम-
एवं पता जिसे जीवन कालीन अवशेष
का भुगतान किया जाये | श्रीमती संगीता
01-बी-13, आवास विकास कालोनी, पाण्डेयपुर,
वाराणसी, उ०प्र० |
| 9- पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि-
जिसका राशिकरण अपेक्षित है। | 50 प्रतिशत |
| 10- भुगतान किस कोषागार से आहरित-
करना चाहते हैं। | कोषागार वाराणसी |
| 11- परिवार का विवरण- | |

क्रम संख्या	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/अविवाहित
1	श्रीमती संगीता	12.01.1964	पत्नी	विवाहित
2	श्री निखिल नन्दन वर्मा	14.03.1993	पुत्र	अविवाहित
3	श्री अखिल नन्दन वर्मा	04.05.1998	पुत्र	अविवाहित

भवदीय,


(नन्द लाल)

जनपद न्यायाधीश,
इटावा

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार पेंशन/सेवा आनुतोषिक, सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटि तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाये। मैं भली भाँति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना पत्र के आधार पर उपरोक्त मदों में भुगतान की गई धनराशियाँ नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पाई जायेंगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियाँ वापिस करनी होंगी। मैं वचन देता हूँ कि मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि को स्वीकृत के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल वापस कर दूंगा।

भवदीय

Nandlal
(नन्द लाल)

जनपद न्यायाधीश,
इटावा

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये
(यथा सम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होना चाहिए
जहां से सेवानिवृत्ति हुए)

1- नाम *श्रीमश नन्द श्रीवास्तव*
पदनाम *सहायक बिल लिपिक*
पता जनपद न्यायालय, इटावा।

श्रीमश नन्द श्रीवास्तव
हस्ताक्षर

2- नाम *स्वातंत्र्य बाजपेयी*
पदनाम *मि.ब. लिपिक*
पता जनपद न्यायालय, इटावा।

स्वातंत्र्य
हस्ताक्षर

Nandlal
(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

भाग-3

प्रार्थी का विवरण

- 1- सरकारी सेवक का नाम
पदनाम तथा कार्यालय का नाम
- श्री नन्द लाल
जनपद न्यायाधीश, इटावा।
- 2- सरकारी सेवक की मृत्यु की
दशा में पारिवारिक पेंशन ग्रेच्युटि
हेतु प्रार्थी का नाम तथा सरकारी
सेवक से सम्बन्ध
- श्रीमती संगीता
पत्नी
- 3- नमूने के हस्ताक्षर:
- (क) सरकारी सेवक के
(उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे)
- (ख) सरकारी सेवक की पत्नी/पति या
अन्य प्रार्थी के (उसके जीवित रहने अथवा
मृत्यु होने दोनों दशाओं में करवाये जायेंगे)
- 1.....
2.....
3.....
- 1.....
2.....
3.....
- 4- यदि सरकारी सेवक या उसकी पत्नी/पति
अथवा अन्य प्रार्थी अंग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू
में हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं तो दायें अथवा
वायें अंगूठे एवं अंगुलियों के निशान
- (क) सरकारी सेवक के
(ख) पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के
- N.A.
..... N.A.
- 5- वैयक्तिक पहचान:
- (क) सरकारी सेवक/पारिवारिक पेंशनर
की ऊंचाई
- (ख) सरकारी सेवक/पारिवारिक पेंशनर
का पहचान चिन्ह
- 5 feet 4½ inch (163 cm)
- cut mark on below left side of shoulder
on the back
- 6- सरकारी सेवक की पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट आकार
में संयुक्त फोटो। मृत्यु की दशा में प्रार्थी की पासपोर्ट
आकार में अपना फोटो। फोटो की तीन प्रतियाँ दी
जायेगी। जिसमें से दो फोर्म्स पर चिपकाई जायेंगी
तथा एक प्रति एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के
साथ अलग से लगा दी जायेगी प्रवेश के बाहर पेंशन
लेने पर पाँच प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेंगी, जिनमें से चार
फोर्म्स पर तथा पांचवी प्रति एक छोटे लिफाफे में पेंशन
प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी जायेगी।



Husain Ahmad Ansari
Spl. Judge SC/ST Act
Etawah सत्यापित

[Signature]
21.10.20

Husain Ahmad Ansari
Spl. Judge SC/ST Act
Etawah

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
तथा पद

[Signature]

सेवा का इतिहास

भाग-4

सरकारी सेवक का नाम. श्री नन्द लाल, जनपद न्यायाधीश, इटावा।

क्र०सं०	कब से कब तक (केवल दिनांक) दिये जायें	पद का नाम जिस पर कार्य किया(स्थान सहित) अवकाश असाधारण अवकाश निलम्बन प्रोन्नति पदवानति, प्रतिनियुक्ति व्यवधान की अवधियाँ भी इंगित की जायें।	स्तम्भ-3 में दर्शायी गई अवधि का प्रकार	यदि कोई अवधि पेंशन युक्त नहीं है तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाये।
1	2	3	4	5
1	01.08.1986 से 30.11.1986 तक	ए०टी०आई, नैनीताल(ट्रेनिंग)	अस्थायी	
2	09.12.1986 से 01.06.1990 तक	अपर मुंसिफ, इलाहाबाद	अस्थायी	
3	04.06.1990 से 09.10.1990 तक	मुंसिफ(अवर दण्ड न्यायालय), वाराणसी	अस्थायी	
4	11.10.1990 से 14.08.1991 तक	मुंसिफ, चंदौली-वाराणसी	अस्थायी	
5	15.08.1991 से 31.05.1993 तक	न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी	अस्थायी	
6	01.06.1993 से 01.06.1994 तक	अपर मुंसिफ, वाराणसी	अस्थायी	
7	03.06.1994 से 15.06.1995 तक	अपर मुंसिफ, देवरिया	अस्थायी	
8	15.06.1995 से 01.06.1996 तक	न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया	अस्थायी	
9	01.06.1996 से 13.09.1996 तक	सिविल जज(जू०डि०), देवरिया	स्थायी दि० 13.08.1996 से	
10	18.09.1996 से 02.06.1997 तक	अपर सिविल जज(सी०डि०), देवरिया	स्थायी	
11	04.06.1997 से 01.05.1999 तक	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायेबरेली	स्थायी	
12	01.05.1999 से 31.05.1999 तक	अपर सिविल जज(सी०डि०), रायेबरेली	स्थायी	
13	05.06.1999 से 05.06.2000 तक	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायेबरेली	स्थायी	
14	06.06.2000 से 30.10.2001 तक	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़	स्थायी	
15	30.10.2001 से 18.07.2003 तक	अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश(एफ०टी०सी०), आजमगढ़	स्थायी	
16	21.07.2003 से 01.03.2005 तक	अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश(एफ०टी०सी०), अलीगढ़	स्थायी	
17	01.03.2005 से 13.05.2005 तक	अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़	स्थायी	
18	13.05.2005 से 06.06.2006 तक	अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश(एफ०टी०सी०), अलीगढ़	स्थायी	
19	09.06.2006 से 06.06.2009 तक	अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी	स्थायी	
20	08.06.2009 से 09.08.2011 तक	अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद	स्थायी	
21	09.08.2011 से 06.01.2012 तक	विशेष न्यायाधीश(आ०व०अधि०), फैजाबाद	स्थायी	
22	06.01.2012 से 16.04.2012 तक	अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद	स्थायी	
23	19.04.2012 से 29.05.2012 तक	विशेष न्यायाधीश(आ०व०अधि०), इलाहाबाद	स्थायी	
24	29.05.2012 से 02.06.2012 तक	अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद	स्थायी	
25	02.06.2012 से 15.06.2012 तक	विशेष न्यायाधीश(आ०व०अधि०), इलाहाबाद	स्थायी	
26	15.06.2012 से 15.04.2013 तक	अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद	स्थायी	
27	15.04.2013 से 19.02.2014 तक	विशेष न्यायाधीश(एस०सी०एस०टी०,पी०ए०अधि०), इलाहाबाद	स्थायी	
28	19.02.2014 से 15.04.2015 तक	अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद	स्थायी	
29	18.04.2015 से 01.05.2016 तक	अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, जालौन(उरई)	स्थायी	
30	04.05.2016 से 01.11.2017 तक	जनपद न्यायाधीश, जौनपुर	स्थायी	
31	06.11.2017 से 10.12.2018 तक	जनपद न्यायाधीश, मैनपुरी	स्थायी	
32	11.12.2018 से 05.02.2020 तक	जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ़	स्थायी	
33	07.02.2020 से अनवरत	जनपद न्यायाधीश, इटावा	स्थायी	
34	30.11.2020	सेवानिवृत्ति की तिथि		

हस्ताक्षर



कार्यालयाध्यक्ष का नाम व पता

भाग-5

कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु

- 1- सरकारी सेवक का नाम- श्री नन्द लाल
- 2- सरकारी सेवक की जन्म तिथि- 17.11.1960
- 3- सेवा में आने का दिनांक- 01.08.1986
- 4- सेवा निवृत्ति का दिनांक- 30.11.2020
- 5- काल अवधि वर्ष मास दिन
34 04 00
- 6- सैन्य सेवा जो पेंशन के लिये अर्ह है, की अवधि X
- 7- अन्य सेवा (यदि कोई हो) जिसे पेंशन हेतु अर्ह माना गया X
- 8- पेंशन अनर्ह सेवा
- (क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा X
- (ख) सेवा में विच्छेद X
- (ग) पेंशन के लिये अनर्हनिलम्न की अवधि X
- (घ) कोई अन्य सेवा जो पेंशन हेतु अनर्ह हो X
- योग 00 00 00
- 9- पेंशन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि(5+6+7-8) वर्ष 34 मास 04 दिन 00
या 66 छमाहियां(अधिकतम)
- 10- पेंशन का प्रकार अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति
(प्रतिकर/अशक्तता/रिटायरिंग/अधिवर्षिता)
- 11- सेवा निवृत्ति के दिनांक को मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित वेतन रूपये 76450/-
- 12- औसत परिलब्धियों का आगणन

अन्तिम दस माह से प्राप्त परिलब्धियाँ

धारित पद	से दिनांक	तक दिनांक	परिलब्धियाँ	अन्य
			मूल नियम 9 (12) (1) में परिभाषित	
1	2	3	4	5
जनपद न्यायाधीश, इटावा।	01.02.2020	30.11.2020	76,450 × 10 माह = 764500/- औसत परिलब्धियाँ = 7,64,500 ÷ 10 = 76,450/-	

- 13- पेंशन का आगणन- $76,450 \div 2 =$ रुपये 38,225/-
X
- 14- सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन (पेंशन अर्ह सेवा 10 वर्ष कम होने पर पेंशन के स्थान पर अनुमन्य
- 15- **सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी** का आगणन $(76450 + 125378) \times 66 =$ रुपये 33,30,162/-
4 (अधिकतम रुपये 20,00,000/-)
- 16- **सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी** की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो) कोई नहीं
- 17- **शुद्ध सेवानिवृत्ति/मृत्यु/ग्रेच्युटी** की धनराशि रुपये 20,00,000/-
- 18- पारिवारिक पेंशन का आगणन
(क) सामान्य दर X
(ख) 07 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनांक X
रुपये.....X.....प्रतिमाह तथा दिनांक.....X.....से.....X.....प्रतिमाह
(सामान्य दर)
- 19- **पेंशन/पारिवारिक पेंशन** प्रारम्भ होने का दिनांक. 01.12.2020
- 20- पेंशन का भाग अथवा धनराशि जिसका राशिकरण अनुमन्य है- 50 प्रतिशत (रु0 19112/-)
- 21- राशिकृत मूल्य का आगणन- $(19112 \times 12 \times 8.194) =$ 18,79,244/-
- 22- राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि 19113/-
- 23- कोषागार का नाम जहां पेंशन/सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु ग्रेच्युटी/राशिकरण के भुगतान आहरित लिए जायेगे कोषागार, वाराणसी (उ0प्र0)
- 24- अन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन(यदि कोई स्वीकृत की गयी हो) कोई नहीं
- 25- अन्तिम सेवा निवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी(यदि कोई स्वीकृत की गयी हो) कोई नहीं
- 26- पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात (दिनांक.....X.....) यह तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व की होनी चाहिये तक:
(1) भवन निर्माण अग्रिम में से रु0..... Xकी धन राशि शेष है/कोई धन राशि शेष नहीं हैं।
(2) मोटर कार/मोटरसाईकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम में से रु0..... X धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
(3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रु0..... Xकी धनराशि शेष है/कोई धन राशि शेष नहीं हैं।
(4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक.....X.....तक रु0.....X..... धनराशि किराये के रूप में अवशेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक.....X..... तक रु0.....X.....और शेष रह जायेगा।
(5) आडिट के परिणाम स्वरूप रु0.....X.....की धनराशि देय है रु0 कोई धनराशि शेष नहीं हैं।
(6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणाम स्वरूप.....X..... धनराशि देय है/ कोई धन राशि शेष नहीं हैं।.....X.....
(7) अन्य मदों में मद स्पस्ट की जाये(रु0.....X..... की धनराशि देय है/ कोई धन राशि देय नहीं हैं।)
(8) **श्री नन्द लाल** सरकारी सेवक का नाम) के विरुद्ध कोई न्यायिक वैधानिक अथवा प्रशासनाधिकारण जांच लम्बित **नहीं हैं/है**।
यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण यदि सरकार की वित्तीय हानि पहुंचायी गई हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गंभीर दुराचरण के दोषी हो तो उसका विवरण दिया जाये।

Nandy

(विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा पदनाम)

IDENTIFICATION PARTICULARS OF SRI NAND LAL S/O SRI RAMA SHANKER ARYA,
DISIGNATION DISTRICT JUDGE OFFICE DISTRICT COURT, ETAWAH.



Attested

[Signature]
21.10.22


Gazetted Officer
Husain Ahmad Ansari
Spl. Judge SC/ST Act,
Etawah

Husain Ahmad Ansari
Spl. Judge SC/ST Act,
Etawah

SPECIMEN SIGNATURE OF SRI NAND LAL

Signature (1) *Nand Lal*
Signature (2) *Nand Lal*
Signature (3) *Nand Lal*

L.H./ R.H. Thumb & finger impression



Attested

(Gazetted Officer) *[Signature]*
21.10.22

Husain Ahmad Ansari
Spl. Judge SC/ST Act
Etawah

Personal mark of Identification

Cut mark on below left side of shoulder on the back

Nand Lal

Sig. of Head of Office

Attested

[Signature]
21.10.22

Husain Ahmad Ansari
Spl. Judge SC/ST Act,
Etawah

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE AT ALLAHABAD.

June 23, 1990.

O R D E R.

Under the orders of the Learned District Judge, A.I.D. dated 11.6.1990 the officers and officials detailed below have been sanctioned Motor Cycle/Scooter Advance upon the terms and conditions given below:-

1. In terms of para 246 of the Financial Hand Book Vol. V the following officers and officials of this Judgeship are sanctioned the amount noted against their names Under G.O.No. B-3-3342*2*/Das-90*1*/90 M.V. dated 17/18.4.1990 for the purchase of Motor Cycle and Scooter. This adv. is granted subject to the following conditions:-
2. If the actual price of the Scooter or Motor Cycle is less than the amount of advance sanctioned the excess amount shall be refunded immediately.
3. The Scooter shall be purchased within one month of the date of advance mentioned against their names otherwise this order shall stand cancelled and the sanctioned advance refunded.
4. The advance on which simple interest of 12% shall be charged, will be recovered from the officers and officials noted below in 71 equal instalments or less than 71 instalments according to the length of their services, ~~and calculation of amount against~~ The amount so calculated would be deducted from the salary of each month of each officer and officials commencing with the first issue of pay after the advance is drawn in accordance with the condition laid down in para 246 (4) of the Financial Hand Book Vol. V Part I. In case no default is committed in payment of interest instalments a rebate of 3-1/2 % per annum from the prescribed rate of interest shall be allowed.
6. In order to be eligible to the amount of advance it shall be incumbent upon the officers and officials noted below before presenting the bill, to fill the agreement in Form No. 24-A and send the same to this office and thereafter the Scooter shall be purchased

N. B. Ashanai

[Signature]

-2-

within one month of the date of agreement. The mortgage bond in form No.25-A shall be filled in and signed at each page by each officers and officials separately and sent to this office within one week of the date of purchased.

6. Immediately after the purchase of the Scooter a comprehensive Insurance policy shall be taken and the policy shall be renewed and kept in force till the adv. is not repaid in full.

7. The Insurance policy or any other proof in token of the insurance, proof of price of the scooter and intimation of the refund of the excess amount, if any, shall be sent to the Account General, U.P., Allahabad under intimation to this office.

8. The advance shall not be utilized towards purchase of scooter on hire-purchase basis.

9. In case of non-utilisation within one month of the advance for purchase of Scooter the amount of advance shall be surrendered to this office forthwith under intimation to the Accountant General U.P., Alld.

10. The amount of advance shall be debited to the Budget Head Anudan No.54 and head of account No. "7610-Loan to the Government Servant etc. Non-Plan 202-Advance for purchase of Motor Vehicles-24 Nivesh/ Loan.

Certified that sufficient fund is available out of the amount allowed to the following for the purchase of the Scooter in the G.O. referred to above.

Sl.No.	Name of the Officers/Officials	Amount/ Sanctioned*
1.	Sri Usha Verma Steno	10,000/-
2.	Sri Hans Raj Singh M/R.	10,000/-
3.	Sri Jamil Ahmad M/R.	10,000/-
4.	Sri Nand Lal Addl. Munsif.	12,000/-
5.	Sri Kailash Prasad M/R.	11,000/-
6.	Sri S.P. Srivastava Addl. Munsif.	12,000/-
7.	Sri A.K. Mukerji J. Mag. N B A. Sharma	10,000/-
District Judge Allahabad.		Total: 75,000/-

Sd/-
Name

15/11
11/11

27/6/96

कागालग महालक्ष्मीकार (लक्ष्मी संत हकदार)।
पत्र संख्या/ तिथि 30.05.2007 इलाहाबाद
सेवा में दिनांक 8-1-97

मिना नगागाधीश
देवीरथा

विषय - श्री नन्द लाल शिविल बज की रकूरत
आगुग 2 1200000 के सठे बन्ध में।

अर्थात्

कृपया आपके द्वारा आगुगारित
पत्र संख्या 974/XX दिनांक 5.6.96 का
अवलोकन करें। इस मद में गुग मह
कहना है कि श्री नन्द लाल शिविल बज
का दिनांक 25.6.90 के आदेश द्वारा रतीगत
रकूरत आगुग 2 1200000 (बारह हजार गत)
का चनराशि लागू नहीं करी कही ती
ही गगी है। जब उनके नाम इस आगुग के
मद में कुछ शेष नहीं है।

कृपया उसे अदेगता प्रमाण पत्र माना
जाये।

भवदीय

विरेट लक्ष्मीधारी

पुष्टांकन संख्या तिथि 30.05.2007 दिनांक
प्रतिलिपि श्री नन्द लाल शिविल बज (धुगड)
देवीरथा का सुनगाध प्रीषत दिनांक 8-1-97

Self Attested
Name

विरेट लक्ष्मीधारी

कार्यालय महालेखाकार {लेखा एवं हकदारी}-द्वितीय, उ०५०,
इलाहाबाद ।

पत्रांक- विधि एवं न्याय {सं} 1/पंचम/74

दिनांक- 25-6-76
28

सेवा में,

.....
.....
.....

विषय:- श्री/श्रीमती/कु० मन्द लाल को स्वीकृत मोटर साइकिल/भवन निर्माण अग्रिम के सम्बन्ध में ।

महोदय,


उपरोक्त विषय आपके पत्रांक 974/85 दिनांक 05-6-76

के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि श्री/श्रीमती/कु० मन्द लाल को दिनांक 25-6-76 को स्वीकृत मोटर साइकिल/भवन निर्माण अग्रिम रु० 12,000/- की धराराशि की ब्याज सहित पूरी कटौती हो गयी है ।

अब इनके नाम इस अग्रिम के मद में कुछ शेष नहीं है ।

कृपया उसे अदेयता प्रमाण पत्र माना जाये ।

भवदीय


वरिष्ठ लेखाधिकारी

Self Attesty
Handwritten signature

TRN
104

20/9/99

Registered

From,

Sri R.S. Yaduvanshi,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

yig
20/9/99
20-9-99

To,

The District Judge,
Raebareilly.

No. 14166 /IV-2189/Admin(A) Dated: Alld: Sept. 14, 1999.

Subject:- Sanction of Motor Car Advance to Sri Nand Lal,
Additional Chief Judicial Magistrate, Raebareilly.
Sir,

I am directed to send herewith an attested copy of Court's order dated 6.9.99 sanctioning Rs. 80,000/- as Motor Car Advance to Sri Nand Lal, Additional Chief Judicial Magistrate, Raebareilly, for purchase of car. The Officer may kindly be asked to furnish the voucher Number, date of drawal of the amount and name of the Treasury to the A.G.U.P., Allahabad under intimation to the Court. He should also send requisite papers as asked for in the Court's order referred to above, to the Court at an early date.

Enclosure:- As above.

Yours faithfully,

DEPUTY REGISTRAR.

No. 14167 /IV-2189/Admin(A) Dated: Alld: Sept. 14, 1999.

Copy, alongwith an attested copy of the Court's order dated 6.9.99, forwarded for information and necessary action to:-

1. The Deputy Secretary, Vitta (Aya-Vyayak) Anubhag-3, Uttar Pradesh Shashab, Lucknow.
2. The Accounts Officer, G.E. (Loans) Section, A.G. (AES)-II, U.P., Allahabad.
3. The Treasury Officer, Raebareilly.
4. Sri Nand Lal, Additional Chief Judicial Magistrate, Raebareilly.

Enclosure:- As above.

By order,
10/9/99
DEPUTY REGISTRAR.

S. Lal/-

भादेश

वित्तोप बप्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैराग्राफ 246 मण्डित राज्या
 संख्या-बी-3-23 83 (27)/सस - 99 - 20 (9)/99 संख्या
 संख्या-23-5-99-के अन्तर्गत श्री नन्द लाल, अपा मुख्य-पाषिक
दण्डाधिकारी, रापकोरेली - - - - -
 को श्री - 007000/2-1-आ- आस्तीहजा प्रान्त का भीष्ण पोटर कार

- 1. स्तोत्रोक्ति की तिथि में एक माह की पाप मोषा के अन्दर भीष्ण की धनराशि
 को भीष्ण के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है।
 1. भीष्ण का आगा आनीरत करने के लिये विल प्रस्तुत करने के पूर्व एक अनुबन्ध
 का फार्म नं० 25-ए/एर पर कर मोषे रूप न्यायालय को भेजा जाय। तदुपरान्त
 पोटर कार रूप किया जाय और अनुबन्ध का की तिथि में एक माह के अन्दर फार्म
 25 पर बन्धक का पर कर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर आने इस्तावर करके न्यायालय को
 भेजा जाय।
- 2. भीष्ण का आगा आनीरत करने के लिये विल प्रस्तुत करने के पूर्व एक अनुबन्ध
 का फार्म नं० 25-ए/एर पर कर मोषे रूप न्यायालय को भेजा जाय। तदुपरान्त
 पोटर कार रूप किया जाय और अनुबन्ध का की तिथि में एक माह के अन्दर फार्म
 25 पर बन्धक का पर कर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर आने इस्तावर करके न्यायालय को
 भेजा जाय।
- 3. भीष्ण का आगा आनीरत करने के लिये विल प्रस्तुत करने के पूर्व एक अनुबन्ध
 का फार्म नं० 25-ए/एर पर कर मोषे रूप न्यायालय को भेजा जाय। तदुपरान्त
 पोटर कार रूप किया जाय और अनुबन्ध का की तिथि में एक माह के अन्दर फार्म
 25 पर बन्धक का पर कर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर आने इस्तावर करके न्यायालय को
 भेजा जाय।
- 4. भीष्ण पर अनिश्चित व मे - - - 105 - - - प्रतिशत पाधारक द्वारा किया
 जायेगा किन्तु निम्नलिखित आ मे रूप/व्याज के प्रतिदान/मुक्तम होने पर व्याज में
 3-5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। व्याज को जो दै भीष्ण का मे निर्धारित होगी
 वह भीष्णों को मान्य होगी।
- 5. वित्तोप बप्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग एक के पैराग्राफ 245 (2) में दिये गये
 नियमों के अनुसार भीष्ण की शर्तों को - - - नन्द लाल - - - - के वेतन से
 - - 96 - - - पाषिक किशतों में श्री - 030/1 - को दर में वसूल की जायेगी, निम्न
 यन्त्रिका किशत श्री - 1150/1 - को दोगी। वसूल को अदागों के तुरन्त बाद व्याज
 की किशतों को अदागों को जायेगी।
- 6. भीष्ण का प्रयोग किराया रूप पत्नी के आधार पर या किशतों पर पोटर कार
 को देने में नहीं किया जायेगा।

12:

7. मोटर का मरने वाले के एक घण्टे के भीतर उसका कम्प्लेक्सिव इन्स्पेक्शन करा दिया जाए और सम्बन्धित लोग पोलिसी का मतानोकरण कराकर तब समय तक बालू रखा जाए जब तक ऑग्न पूर्ण रूप से सुखान न कर दिया जाए। खोले के पार्श्व में लोहा पोलिसी या अन्य प्रमाणक मोटर कार मरने के पुमाया तथा लगे हुई धनराशि गति कोर्ट हो तो शासन को लौटाने की तिथि की सूचना के माध्यम से ज्ञात करा जाय।

8. शासन/न्यायालय द्वारा भोजा किये जाने पर अथवा स्वीकृत भेदा निवृत्त पर विशेष धनराशि व्ययत मरित एक मुश्त में भेज दोगे।

9. इस सम्बन्ध में हुए हुए बालू वित्तिय वर्ष 1977-2000 के आ-रूपक में प्रवृत्त तिथार को अनुदान संख्या 61 के अन्तर्गत लेजा शोधक-7610-परकारो कर्मचारियों को कर्म-आगोलेनर-200-मोटर वाहन का रूप करने के लिये अग्रिम-03-राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहन रूप करने के लिये अग्रिम -30 निवेश/रण के नामे जाला जारा गीहो।

दिनांक 6-9-99,

X *[Signature]*
निदेशक

उच्च न्यायालय, अलाहाबाद।

AK
31-8-99

Attest
P. S. Sandily
12.9.99

Section Officer
Administrative (A) Section
High Court Allahabad

[Signature]

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उ० प्र०, इलाहाबाद

सं० :- जी० ई० -1/गुप-6/

अदेयता प्रमाण पत्र/

दिनांक :

सेवा में,

1. सचिव नियुक्ति अनुभाग-६, एनैक्सी भवन,
उ० प्र० शासन, लखनऊ
2. सचिव, गृह पुलिस सेवायें अनुभाग-२, एनैक्सी भवन,
उ० प्र० शासन, लखनऊ
3. सचिव, वित्त सेवायें अनुभाग-२
उ० प्र० शासन लखनऊ
4. निबन्धक, उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

विषय : श्री नरद लाल आई० ए० एस०/आई० पी० एस०/
वित्त सेवायें/एच० जे० एस० की स्वीकृत भवन निर्माण अन्तिम/मोटरकार अग्रिम/स्कूटर
अग्रिम/कम्प्यूटर अग्रिम रु० 80,000/= की अदायगी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि शासनादेश संख्या
उच्च न्यायालय के आदेश संख्या-16166/W-2189/A2mn-(A)
दिनांक 14-1-99 के अन्तर्गत स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम/मोटरकार अग्रिम/स्कूटर
अग्रिम/कम्प्यूटर अग्रिम रु० 80,000/= के मूलधन की
अदायगी मय ब्याज के इस कार्यालय के अभिलेखानुसार पूर्ण हो चुकी है।

2. उक्त अग्रिम के विरुद्ध कुछ भी शेष नहीं है।

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी

सं० : जी० ई० -1/गुप-6/

/अ० प्र० प०/

983

दिनांक 27-9-04

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ

2. श्री नरद लाल अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (पारट बेंच),
अलीगढ़।

Self Attested
Handed

वरिष्ठ लेखाधिकारी

Registered

From,
Avanish Kr. Jaiswal,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,
Sri Nand Lal,
District Judge,
Etawah.

No. 7767 /IV-2189/ Admin (A-IV) / Dated 11-09-2020

Sub: Regarding sanction/ repayment of House Building Advance to/by yourself.

Sir,

With reference to your letter no. 1246/I Etawah dated 08.09.2020, on the above subject, I am sending herewith an attested copy of Court's letter dated 18.06.2008 through which information related to modified order of House Building Advance had sent to you and photocopy of 'No-Dues-Certificate' dated 18.12.2008 issued by A.G.U.P., Allahabad against the same, as desired by you.

Encl.-as above.

Yours faithfully,
(Signature)
11.09.2020
Deputy Registrar(M)
(Signature)
11/9/2020

m,

Joint Registrar (Admin. A-II),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

District Judge,
Varanasi.

No. 7883/IV- 2189 /Admin (A-II) /Dated:- 18.06.2008

Allahabad

Subject:- Regarding sanction of house building advance to Sri Nand Lal, A.D.J.,
Varanasi.

Sir,

With reference to your endorsement No. 483/I dated 28.04.08 the above subject, I am directed to say that the Court has been pleased to modify its order dated 04.01.2003 sanctioning house building advance of Rs. 2,50,000/- payable in two installments of Rs. 1,50,000/- and Rs. 1,00,000/- to Sri Nand Lal, the then Additional District & Sessions Judge, Azamgarh now posted as A.D.J., Varanasi to first installment of Rs. 1,50,000/- only.

Sri Nand Lal may kindly be informed accordingly.

Yours faithfully,

Sd/-

Sri Beche Lal

Joint Registrar

No. 7884 /IV- 2189 /Admin(A-II)/Dated:- 18.06.08

Allahabad

Copy forwarded in continuation of Court's endorsement no. 661/IV-2189/
Admin (A)/ dated 20.01.2003 for information and take necessary action.

1. The Deputy Secretary, Vitta (Aya-Vyayak) Anubhag-3 U.P. Shashan, Lucknow
2. The Accounts Officer, G.E. (loans) section A.G. (A&E)-II, U.P., Allahabad.
3. Sri Nand Lal, A.D.J., Varanasi

Attested
Sd/-
Section Officer
High Court, Allahabad
11/9/2020

Sd/-

Sri Beche Lal

Joint Registrar

स्वीकृत

कार्यालय महालेखाकार लेखा एव हकदारी द्वितीय जो प्रो इलाहाबाद

दिनांक 18-12-08

क्रमांक 18-12-08

- 1. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश नं. 1/2003 के अन्तर्गत
- 2. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश नं. 2/2003 के अन्तर्गत
- 3. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश नं. 3/2003 के अन्तर्गत
- 4. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश नं. 4/2003 के अन्तर्गत

विषय श्री श्री नन्द लाल, अपर जिला, न्यायाधीश, एचओ जेओ एसओ का स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम Rs.150,000.00 की अवधिगी क सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयवस्तुगत सूचित करना है कि आर.ना.द.श. द्वारा राज्य न्यायालय के आदेश नम्बर 660/2189/एडमिन (ए) दिनांक 20-Jan-03 के अन्तर्गत स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम Rs.150,000.00 के मूल्य की अवधिगी मय ब्याज के इस कार्यालय के अभिलेखानुसार पूर्ण हो चुकी है।

2. उक्त अग्रिम के निरुद्ध कृप्य भव नहीं है।

महनीय
 (श्री एन.ए. लाल)
 महालेखाकार

जो जेओ प्रो 1/प्रो प्रो प्रो/

दिनांक

प्रतिभाषित दिनांक सुवर्ण प्रमाण

X1 दिनांक पत्रिका निरुद्धक उपर्युक्त मय सम्बन्ध

2/ श्री श्री नन्द लाल, अपर जिला, न्यायाधीश, सिविल कोर्ट वाराणसी, ।

महालेखाकार

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II उ.प्र. इलाहाबाद

18

पत्रांक:- जी0ई0-II / गुप-I / एल0आई0डी0-शून्य/ए0जी0-05/

107

दिनांक- 22/9/20

सेवा में

श्री नन्द लाल
जनपद न्यायाधीश
इटावा।

विषय:- आपको स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम रु 1,50,000/- के विरुद्ध अदेयता प्रमाण पत्र प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्रांक- शून्य दिनांक 08/09/20 के संबंध में अवगत कराना है कि आपको स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम रु श्री 1,50,000/- के विरुद्ध अदेयता प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्रांक- जी0ई0-II/गुप-I/अ0दे0प्र0पत्र -299/730 दिनांक 18/12/2008 के द्वारा भवन निर्माण अग्रिम से संबन्धित अदेयता प्रमाण पत्र निबन्धक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को एवं पत्रांक 731 दिनांक 18/12/2008 के द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र की सूचनार्थ प्रति आपको प्रेषित की गई थी।

संलग्नक- अदेयता प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

वरि0 लेखाधिकारी / जी0ई0-II

तददिनांक-

पत्रांक:- जी0ई0-II / गुप-I / एल0आई0डी0-शून्य/ए0जी0-05/

प्रतिलिपि- श्री अबनीश कुमार जायसवाल उप निबंधक (एम०) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वरि0 लेखाधिकारी / जी0ई0-II

Self Attested
Mages



कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी द्वितीय उ० प्र० इलाहाबाद ।

सं० जी०ई० प्र/गुप -1/ अदेयता प्रमाण पत्र / 730

दिनांक 18/12/08

सेवा में,

1. सचिव नियुक्ति अनुभाग-6 एनैक्सी भवन
उ० प्र० शासन लखनऊ
2. सचिव गृह पुलिस सेवायें अनुभाग-2 एनैक्सी भवन
उ० प्र० शासन लखनऊ
3. सचिव वित्त सेवायें अनुभाग-2
उ० प्र० शासन लखनऊ
4. निवन्धक उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

विषय : श्री श्री नन्द लाल, अपर जिला, न्यायाधीश, एच० जे० एस० को स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम
Rs.150,000.00 की अदायगी के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि शासनादेश संख्या उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 660/
-2189/एडमिन (ए) दिनांक 20-Jan-03 के अन्तर्गत स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम Rs.150,000.00 के मूलधन
की अदायगी मय ब्याज के इस कार्यालय के अभिलेखानुसार पूर्ण हो चुकी है ।

2. उक्त अग्रिम के विरुद्ध कुछ शंभ नहीं है ।

पंजी ७२१

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी

सं० जी०ई० प्र/गुप -1/ अ० प्र० प० / 731

दिनांक 18/12/08

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनाार्थ प्रेषित :-

1. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनऊ ।

2. श्री श्री नन्द लाल, अपर जिला, न्यायाधीश, सिविल कोर्ट वाराणसी ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी

9c

Ecc.
18/12/08

Self Attested
Mades

T.T.R. NO. 171
28/12/08

From,

District Judge,
Etawah.

To,

The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad.

No. 519/1 to 5190/1

Dated : March 17, 2020.

Sub. : Regarding Home-Library books.

Sir,

Respectfully I have to say that my retirement date is 30.11.2020. I have deposited books at the judgeship Pratapgarh, provided to me, under the scheme of U.P. Judicial Officers Home Library-2010. The copy of deposit receipt issued from Pratapgarh Judgeship, is being sent with this letter.

It is, therefore, requested, that an entry regarding that in Records under the scheme of U.P. Judicial Officers Home-Library 2010 be directed to be made for future communication.

With regards,

Encl.- As above.

Yours faithfully,

May
District Judge,
Etawah.
District Judge
Etawah

Copy to- Registrar (J)(1), Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad for information & necessary action.

May
District Judge,
Etawah.
District Judge
Etawah

Office of District Judge, Pratapgarh.Certificate

Received U.P. Judicial Officers' Home Library total Sixty (60/-) books from Serial No. 1 to 60 of the list attached, from Sri Nand Lal, District Judge, Pratapgarh.

Dated: 01.02.2020

शरम प्यारे
(Ram Pyare)
Librarian,
Civil Court, Pratapgarh

Counter Signed

01/02/2020
Officer Incharge
Library,
Civil Court, Pratapgarh
[स्नकालय एन लखन लामापी
सिबल कोर्ट—प्रतापगढ़

Self Attested
Nandy

Serial No.

Title of Book

22


1. Shorter Constitution of India Vol.-1
2. Shorter Constitution of India Vol.-2
3. Indian Contract and Specific Relief Acts Vol.-1
4. Indian Contract and Specific Relief Acts Vol.-2
5. Indian Penal Code
6. Code of Criminal Procedure
7. Law of Evidence
8. Transfer of Property Act
9. Medical Jurisprudence and Toxicology (paper back)
10. Concise Law Dictionary
11. Principles of Statutory Interpretation
12. Principles of Muslim Law
13. Negotiable Instruments Act
14. Marriage & Divorce
15. Criminal Manual
16. Central Civil Acts
17. Criminal Minor Acts
18. Law Dictionary
19. Forest & Wild Life
20. Suit Valuation Act.
21. Hindu Law
22. Code of Civil Procedure
23. Electricity Act.
24. Prevention of Food Adulteration Act 1954
25. Motor Vehicles Act.
26. Right to Information Act.
27. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act
28. U.P. Municipalities Act
29. Court Fees Act as applicable in U.P.
30. Juvenile Justice Care and Protection of Children Act.
31. Protection of Women from Domestic Violence Act 2005
32. U.P. Land Revenue Act
33. High Court Rules with Judicial Service Manual and allied Laws
34. U.P. Urban Buildings regulation of letting, rent and Eviction Act 1972
35. U.P. Gangsters & Anti Social activities prevention Act 1986
36. U.P. Police Regulations & allied Laws
37. U.P. Jail Manual & allied Laws
38. Financial Handbock vol. II part 2-4
39. Law of Limitation
40. U.P. Zamindari abolition and Land reforms Act 1950
41. The Story of my Experiments with Truth: An autobiography of Mahatma Gandhi.
42. General Rules Civil Vol.-1
43. Circular Orders of High Court Allahabad Volume 1
44. Circular Orders of High Court Allahabad Volume 2
45. Service Laws
46. General Rules (Criminal)
47. The Sexual harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
48. The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
49. Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011
50. The Indian Evidence Act, 1872
51. The National Food Security Act, 2013
52. The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012
53. The Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009
54. The Constitution of India 53
55. Law Relating to Intellectual Property
56. Uttar Pradesh Revenue Code, 2006
57. Indian Penal Code
58. Code of Criminal Procedure
59. The Limitation Act, 1963, 2011
60. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 2011.

21

अद्वैत प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय नाजिर, उप-नाजिर, पुस्तकालय लिपिक एवं लेखा-लिपिक की आख्याओं के अनुसार श्री नन्द लाल, तत्कालीन अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी के विरुद्ध उनके वाराणसी प्रवास की अवधि दिनांक-09-06-2006 से 06-06-2009 में किसी प्रकार के शासकीय देय वसूली हेतु शेष नहीं हैं।

सितम्बर 10, 2009


10-9-09
श्री बी. पी. शुक्ल District Judge
जनपद न्यायाधीश, Varanasi.
वाराणसी।


Self Attested
Master

प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, फैजाबाद।
अदेयता प्रमाण-पत्र

24

प्रभारी अधिकारी नजारत, नोडल अधिकारी कम्प्यूटर एवं प्रभारी अधिकारी पुस्तकालय की आख्या के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री नन्दलाल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के ऊपर इस अधिष्ठान में जून, 2009 से अप्रैल, 2012 तक कार्यरत रहने के अवधि का कोई राजकीय देय शेष नहीं है।

फैजाबाद / दिनांक
फरवरी, 2016


जनपद न्यायाधीश
फैजाबाद। 16/02/16


Self Attested
Handle

25

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, ALLAHABAD.
DATED: April 28, 2016.

C E R T I F I C A T E

This is to certify that on the basis of report submitted by Officer-in-charge Nazarat, Officer-in-charge Computer Section & Officer-in-charge Library no Dues are pending against Sri Nand Lal, posted during the period May, 2012 to April, 2015 as Additional District Judge, in Allahabad Judgeship.


District Judge,
Allahabad,
28/4/16
DISTRICT JUDGE
Allahabad

Self Attested
Nand Lal

कार्यालय:- जनपद न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

अदेयता प्रमाण-पत्र

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दिनांकित 27.10.2016 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री नन्द लाल, तत्कालीन द्वितीय अपर जिला जज, जालौन स्थान उरई वर्तमान जनपद न्यायाधीश, जौनपुर पर जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई से सम्बन्धित कोई शासकीय देय बकाया नहीं है।



(प्रदीप कुमार कंसल)
जनपद न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।

27.10.2016

District Judge
Jalaun at Orai

Self Attested
Name

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश
जौनपुर।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,
मैनपुरी।

पत्रांक :

जे० टी० 2482/88

दिनांक, जौनपुर : नवम्बर 05, 2018

विषय :

अदेयता प्रमाणपत्र के प्रेषण के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 1983/ 1, दिनांक 31.10.2018 द्वारा आपके जौनपुर में कार्यरत रहने की अवधि से सम्बन्धित अदेयता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः अदेयता प्रमाणपत्र मूलरूप में इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक

यथा उपरोक्त।


5-11-18

(अजय त्यागी)


जनपद न्यायाधीश,

जौनपुर

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जौनपुर।

अदेयता-प्रमाणपत्र

जनपद न्यायालय अधिष्ठान, जौनपुर के लेखा-लिपिक, पुस्तकालय लिपिक, कम्प्यूटर अनुभाग एवं केन्द्रीय नाजिर द्वारा प्रस्तुत आख्याओं के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नन्द लाल, तत्कालीन जनपद न्यायाधीश, जौनपुर के जिम्मे जनपद न्यायालय अधिष्ठान जौनपुर का कोई देय अवशेष नहीं है।


 (अजय त्यागी) 5-11-18
 जनपद न्यायाधीश
 जौनपुर।
 DISTRICT JUDGE
 JHANSI

Attested
 Handwritten

From,
Vijendra Singh, H.J.S.
District Judge,
Mainpuri

To,
Sri Nand Lal, H.J.S.
District Judge,
Pratapgarh

No. 1771/I

Dated:- 29.7.18.

Subject:- "No Dues Certificate" for the period of posting from
06.11.2017 to 10.12.2018 at Mainpuri Judgeship

Sir,

With reference to your endorsement No. 2005/I 2018-19 dated
26.07.2019 on the above captioned subject, I am sending herewith your
'No Dues Certificate' {in original} for the period of your posting in this
Judgeship i.e. from 06.11.2017 to 10.12.2018 for record of your good self.

Kindly acknowledge the receipt.

Encls. No Dues Certificate
(in original)

Yours faithfully

(Vijendra Singh)

District Judge

MAINPURI


MAINPURI

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, MAINPURI

NO DUES CERTIFICATE

Certified that 'No Government Dues' in connection with District Court, Mainpuri are outstanding against Sri Nand Lal, the then District Judge, Mainpuri for the period of his posting at Mainpuri Judgeship i.e from 06.11.17 to 10.12.18, as per office report of C.A.O, Central Nazarat, Account Section, Librarian and Computer Section of this Judgeship respectively.

Dated: 29.07-,2019



(Vijendra Singh)
District Judge,
Mainpuri

Self Attested
Nand Lal

No Dues Certificate

31

It is certified that according to the report of Central Nazir, Bill Clerk, Librarian & System Officer, no government dues towards Civil Court is out-standing against Sri Nand Lal, the then District Judge, Pratapgarh of his tenure during 11-12-2018 to 05-02-2020.



District Judge
Pratapgarh.

**DISTRICT JUDGE
PRATAPGARH.**

Letter No - 884

dt - 2.7.20

Self Attested
Nand Lal